



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-17042023-245199
CG-WB-E-17042023-245199

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1659]
No. 1659]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 2023/चैत्र 27, 1945
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2023/CHAITRA 27, 1945

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
अधिसूचना

सिकंदराबाद, 17 अप्रैल, 2023

का.आ. 1739(अ).—केंद्र सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “औरंगाबाद और अंकाई स्टेशनों के बीच रेल पटरी का दोहरीकरण (98.25 किमी)” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र राज्य में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[ई -फा. सं. 313959]

हेमंत कुमार भगोरिया, मुख्य इंजीनियर (निर्माण-V)

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 17th April, 2023

S.O. 1739(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37 A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “Doubling of Track between Aurangabad and Ankai Stations (98.25Km)” as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Maharashtra for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[E-F. No. 313959]

HEMANT KUMAR BHAGORIA, Chief Engineer (Const-V)